Government of India
Ministry of Railway
(Railway Board)

No.2008/H-1/2/15/Part/ElectronicFile

New Delhi, Dated 25.05.2021

The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
DG/RDSO, Lucknow & CAO(R), Patiala.

(CORRIGENDUM)

Sub:-Medical facilities to adopted children-regarding.
Ref:-Railway Board's letter no. 2000/H/PNM-AIRF dated 05.09.2000.

Ministry of Railways (Railway Board) have decided that Para 601 (5) (d) contained in Board's letter cited under reference above may be read as under:

"601(5)(d) step-sons, unmarried step-daughters and legally adopted children, subject to the age limit prescribed in (b) and (c) above, provided they are wholly dependent on the Railway employee."

The revised Advance Correction Slip no. 01 dated 25.05.2021 is enclosed herewith.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

25/5/21

(Dr. Praval Pant)
Director (Industrial Health)
Railway Board
Ministry of Railways
Tele-011-47843133
Email praval.pant@gov.in
5th Floor, Room No. 504-A

Copy for information and necessary action to:

1. **The PCMDs/All Indian Railways & CMOs/All Production Units.**
2. **The PCMOs/All Indian Railways & CMOs/All Production Units.**
3. **The PFAs/ All Indian Railways & CMOs/All Production Units.**
4. **The Principal Director of Audit, All Indian Railways/Production Units.**
5. **The Dy. Comptroller & Auditor General of Indian (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.**

Advance Correction Slip to Para 601 (5)(d) of IRMM-2000

Para 601 (5)(d):

"Step-sons, unmarried step-daughters and legally adopted children, subject to the age limit prescribed in (b) and (c) above, provided they are wholly dependent on the Railway employee."

(Authority Board's letter No. 2008/H-1/2/15/Part/Electronic File dated 25.05.2021)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2008/एच-1/2/15/पार्ट/इलैक्ट्रॉनिक फाइल

नई दिल्ली, दिनांक 25.05.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं सीएओ(आर), पटियाला।

(शुद्धिपत्र)

विषय:- गोद लिए गए (दत्तक) बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 05.09.2000 का पत्र सं. 2000/एच/पीएनएम-एआईआरएफ

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने यह विनिश्चय किया है कि बोर्ड के उल्लिखित संदर्भाधीन पत्र में निहित पैरा 601 (5) (घ) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"601 (5) (घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) में निर्धारित आयु सीमा के अध्यधीन सौतेले पुत्र, अविवाहित सौतेली-पुत्रियां और कानूनी रूप से गोद लिए गए (दत्तक) बच्चे, चाहे वे रेल कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर हों।"

दिनांक 25.05.2021 की संशोधित अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 01 इसके साथ संलग्न है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य)
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
दूरभाष -011-47843133
ईमेल praval.pant@gov.in
5वां तल, कमरा नं. 504-ए

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:

1. पीसीएमडी/सभी भारतीय रेलें एवं सीएमओ/सभी उत्पादन इकाइयां।
2. पीसीएमओ/सभी भारतीय रेलें एवं सीएमओ/सभी उत्पादन इकाइयां।
3. पीएफए/सभी भारतीय रेलें एवं सीएमओ/सभी उत्पादन इकाइयां।
4. प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

<u>भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 601(5) (घ) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची</u>

पैरा 601 (5) (घ):

"उपर्युक्त (ख) और (ग) में निर्धारित आयु सीमा के अध्यधीन सौतेले पुत्र, अविवाहित सौतेली-पुत्रियां और कानूनी रूप से गोद लिए गए (दत्तक) बच्चे, चाहे वे रेल कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर हों।"

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 25.05.2021 का पत्र सं. 2008/एच-1/2/15/पार्ट/इलैक्ट्रॉनिक फाइल)